RR for the past of SLASGO

रिणस्ट्रो सं. की. (की. एन.)-78

RECUTERED No. D. (D.N.)--73



# Hed an Usian Usian The Gazette of India

प्राधिकार से प्रसाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• s] No. 8) नई विल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गून 1, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पुष्ठ सहया की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रहा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication

भाग ।।--१ वड ३--वद-४,वद (1)

# PART II-Section 3-Sub-section (i)

(रक्षा मं राजय की छोड़कर) भारत सरकार जे मंत्रावयों और (संब राज्य कोज प्रशासनों को छोड़कर) केकीय प्रधिकारियों हारा विशि के स्वत्यनेत बनाए भीर जारी किए गए साधारण निवस जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उपनियम आवि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bys-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

विधि, न्याय शौर कम्पनी कार्य मंत्रालय

(करवनी कार्य विद्यास)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1982

सार कार निर्ण 173--कम्पनी स्रीधनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 10% की उप-धारन (1) द्वारा प्रदत्त प्रावितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार एनटहारा भारत मरकार, विधि, न्याय धौर कम्पनी कार्य मंद्रालय (अन्तर्ने कार्य विभाग) की, समय-समय पर यथा संशोधित विभाग 15 मार्च, 1976 की सक्या सार कार निर्ण 242 (क) की धार्यस्वाम म पून निम्नाकित गणीधन करती प्रथति —

कथिन प्रतिसूचना के खण्ड (क) में, प्रतिष्टि (1) विलोपित कर दी आयोगी एवं विद्यासन प्रविष्टिया ३ से ७ का पून संक्रशमन 2 से 6 होता ।

2 अपर कथिन गणीद्य । फन्जरी, 1982 से प्रशाबी होगा।

[শ০ ए- 45011/51/81-স্থাত ]] মাতে তীত মন্ত্ৰীলা, মূৰত মুখিৰ

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)
New Delhi, the 10th February, 1982

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956

(1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. GSR 242 (F), dated 15th March, 1976, as amended from time to time, namely :—

In the said Notification in clause (a), entry (2) shall be deleted, and the existing entries 3 to 7 shall be renumbered as 2 to 6.

2. The aforesaid amendment takes effect from the forenoon of 1st February, 1987.

[No, A-45011[51]81-Admn, I] R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

#### गृह मंजालय

(कार्मिक और प्रशासनिक स्थार विश्वाम)

मिद्दे विरुली, 4 फरवरी, 1982

सा० का० कि० 174.—मिक्कल भाग्नीय सेवाएं (गोपनीय पंत्रियां) मिमम, 1970 के मियम 4 के धनुमरण में और विनांवा 11 सिमान्यर 1973 की पश्चिमुक्मा. संख्या 34/4/71-प० का० से० (iii) धाड 1 (क्य) का प्रक्षित्रमण करते हुए, केसीय सरकार इसके माथ संज्यन प्रसन्न को ऐसे प्रपन्न के क्य में निविष्ट कारती है जिसमें अजिल भाग्नीय सेवाभों के प्रस्येक सदस्य के संबंध में गापनीय रिपोर्ट निवशी जाएगी।

1287 GI/RI-1

### स्वास्थ्य और दरिवार फल्याण मंत्रालय

#### (श्यास्थ्य विद्याग)

नई बिल्मी. 30 विमादार, 1981

सार कार पिर 178--संविद्यान के मन्द्रवेद 309 के परन्तुभ द्वारा प्रदन मिक्सी का प्रयोग करने हुए घीर बंदर्गात प्रयोगमाना, विश्वति अभी अभी कि मही कि मही

- 1. इन नियमों पा नाम बाँ०सीं०र्जा० बैनसीन प्रयोगणामा. गिडो, महाम (समृह 'ग' पद) भर्ती मियम, 1981 है।
- 2. ये सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंने।
- 2 उपयोक्त : ये नियम इन नियमों से संव्यन धनुसूची के कालम-1 में निर्दिष्ट पतों पर लागू होंगे ।
- 3 पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा देलनमान :

परों की संक्या, उनका बर्गीकरण तथा बेननमान बही होंगे जैमा कि मनुसूची के स्नम्म 3 से 4 में निर्दिष्ट है।

4 ५तीं की विधि, प्रायुर्वामा, प्रह्नंतायें, प्रावि :

उक्त परों पर ानों की विधि, प्रायुमीमा, प्रहेनामें नष। ग्रन्य बाते वहीं होंगी जैसा कि उन्क प्रमुखी के स्नम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

- भनर्हमा : कोई व्यक्ति,—
  - (फ) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है प्रयत्रा विवाह की संविदा करना/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, धयवा
- (क) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के माथ विद्याह करना/करती है प्रयवा विवाह की संविदा करता/करनी है. सेवा में नियक्त होने का पान नहीं है/होगा

परन्तु केर्फाय सरकार यह गमाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के पूसरे हैं पक्षकार पर लागू होने वासी स्वीय विधि के झधीन यनुकेय हैं, यौर ऐसा करने के बन्य भाषार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं।

ө छृट**दे**ने की शंक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार का यह विश्वार हो कि खूट देना भावश्यक या उक्तिन है वहां निविद्य कारणों के प्राधार पर भावेण द्वारा विसी श्रेणी या वर्ग में संबंधित व्यक्तियों को इन मियंगों में किसी उपबंध से छट दे मजती है। 7 व्यापृत्ति

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये घादेशों के मनुसार धनुसूचित जानि/घनुसूचित जनजाति तथ। विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन धारकांगे भीर भन्य रियायनों की त्यवस्था करना धपक्षित हैं. उन पर इन नियमों को किसी बात का प्रकास नहीं पडेगा ।

•				अनुसूची						
	पटों की . वर्गीकरण संख्या		<u></u> चेगनमाम	चयन पद ध्रयना गैर		. शर्ती वाले जम्मीदवारों तए भागुनीमा		हि मुर्ती वाले एटमीवनारों से विक्रत गैक्षिक नथा धन्य योग्य-		
				चयन पद		•	ताएं .		٠	
1	2	j	4	. 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8		7		<del></del>
, प्रयोगशाला सहायक	( ( ) ( ( ) ; ( )	सीमीन्य भन्द्रीय सेवा समृत् ''ग'' गराजपक्षित प्रत्लेषिकशर्गीय	1 0-₹6	:-8-340 :-8-340	प्रचयन	18 में 25 वर्ष के ब. व (मरकारी धानुदेशों धार्त्त्रभाषों के ध मरकारी बामेवार्ग सिए 35 वर्ष के धिलतीय) नीटधायुसीमा धारित करने की यक तारीख धार रहुते वाले घरर से (उनसे फ्रिश्च उ धान घीर नि ग्रीप्समृह तथा के प्राप्त करने की	भीर नुमारं व रयो के प्र भव- भिवा- रिका- रिका- से प्रड- कोबार सबेबर सबेबर	एम० एम० । सुन्य । एफ्नीय योगणाभा टे या प्रयोग वर्ष का प्र	क्नोलाजी मगस्ता व	٠

8	8 0 10		11	12	enter garagenskriver et '	
मेकिक ग्रहेनःए हा प्रायुक्तंसा नही	दो धर्प	7.5 प्रतियस पदीश्रीत हारा घोर 2.5 प्रीवशन सं:धंः प्रती ह रा	पदोन्नितः प्रयोगणामाः परिषयः जातम्य प्रयुक्ति से व्या तीन् वर्षे मी सेवा ग्रम् कृते हो ग्रीर एम० एम० एम० मी० या उसके सम्स्तुत्य परीक्षा पास हो	जितमें निम्त्रांसांग्रह : सदस्य होगे :	कापू सही होमा	
1		3 4	5	6	7	
<ol> <li>वरिस्ट प्रयोग णाल महायवः</li> </ol>	- <i></i>	कंन्द्रीय स.म.च्य सेवर, 260-8-300- समूह् "म" घराम- व०रर-8-340- पक्षित घनिपित- 10-380-व०र्रा बर्गीय 10-430 ४०	(गरकारी) वादेणी के कारी के जिए उ जिल्लानो नोट के घर्म नार्र रहने घा स (उट घंकमान म रहने	धनुदेशों धीर हायर सेके धनुमार सर- समयुत्य कर्मचारियों के टेक्नोलाजी 5 थर्म तक बालों या व ) जीवाणु वि प्रायुसीमा घन- राने की निर्णा- वेष भारत में 2 वर्ष का के धन्यधियों को नरजीह तथा लक्षडीप हैं) धार्यवन ररने की ध्रिकम	दी (विकान) पथव ज्डरी (विकान) य प्रकृतसम्प्रियमेगधास विप्तोमा रख किसी मान्यता प्राप् ज्ञान संबंधी प्रयोग कार्य में प्रणिकिन कार्य में कम से कम प्रमुख रखाने वास्स्	
8	9	10	11	. 12	13	
साग् मही होता	दे। वर्ष 75 प्रतिपात स्थानान्तरण द्वारा भीर 25 प्रतिपात सीधी अर्तो द्वारा ।		ऐसे प्रयोगशाला महायको का स्थाना स्वारा मरके जो कम से मम सीन वर्ष को सेवा कर चुके हों और एम० एस० एल० सी० या मगतुल्य परीक्षा पास हों।	विधागीय पदाश्रसि समिनि जिगमें निम्निशिकित सवस्य होंगे ——  1. निदेशक, बी०सी०श्री० प्रयोगशासा, गिडी, महाम — अध्यक्ष  2. दो उप निदेशक, बी० सी०श्री० प्रयोगशासा, गिडी, महाम— सदस्य  3. सहायक निदेशक, फिरज डम्टीट्यूट, तमिलनाह	न्द्र(गूनही होस	

[स॰ ए॰ 12018/5/78-प्रशासन-III/जम स्वास्प्य]

बी॰ के॰ बी॰ नेगी, प्रवर सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th December, 1981

CS.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution and, in superresident of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras (Class III) Recruitment Rules, 1965, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCO Vaccine Laboratory. Guindy, Madras, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay.—
  The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.
- 4. Method of recruitment, age limits and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

- 5. Disqualification.—No person—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the ordere issued by the Central Government from time to time in this regard.

Kings Institute, Government of Timil Nadu-

Member

#### SCHEDULE

SCHEDULE								
in ma of pryt	No. of posts	Cl <sup>e</sup> ssification	Scale of pry	Whether Selection post or non- Selection Post	Age limit for direc recruits		and other quali- quired for direc	
1	2	3	4	5	6		7	
4. Laborato Assistant	(Sixtee				Between 18 and 25 years (Rolaxable for Government sorvants upto 35 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government.  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for treedpt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Certificate or Desirable: Diplo Technology or perionce in Li	y School Leaving its equivalent oma in Laboratory two years ex- aboratory work.	
8		9	10	=====			= : = <del></del> = =	
Educational fication—Y Ago limit—	`os	years 75% by pro 25% by dire	et rocruitment	emotion-Labora ants possessin than three year the same post as Secondary Sch Certificate or ec amination.	s service in of (1) nd a pass in Vaccin ool Leaving Guind (uivalent ex- (2) Two tant I Vaccin	nittee consisting Director, BCG te Lahoratory, y, Madras— nan Denuty Assis- Directors, BCG, e Laboratory, y, Madras—	Notapplicable	

5. Sonior Labora-6(9ix)\* General Control Rs. 260-8-300 -Not appli-Between 18 and 25 Pre-University (Science) or Higher Service, Group EB--8-340-10-380 cable tory Assistant years (Relaxable for Secondary Science or equivalent 'C' non-gazetted EB-10-430 Government servants qualifications. Proference will Non-Ministerial upto 35 years in acbo given to a candidate cordanic with the possessing a Diploma in Laboinstructions and orratory Technology or training ders issued by the in bacterlological work in rerecognised bacteriological labo-Central Government. Note: The cracial ratory or experience in Labodate for determining ratory work for at least the age limit shall be two years. the closing date for recolpt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Laksha-\*Subject to variation dependent on work load. dwcep). 75% by transfer Transfer of Laboratory Assistants Departmental Promotion Not applicable. Not applicable Two years 25% by direct recruitpossessing not less than three Committee consisting of years regular service and po- (1) Director, BCG Vaasessing a pass in S.S.L.C. or ceine Laboratory, Guindy equivalent examination. Madras (Chairman) (2) Two Doputy Assistant Directors BCG Vaccine Laboratory, Gulndy Madras. (Members). (3) Assistant Director, Kings Institute, Government of Tamil Nadu (Member).

[No. A-12018/5/78 -- Admin. - 11/P.H.]

B. K. D. NEOI, Under Secy.